राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7(418)(1)परि/नियम/मु./2011/12327 जयपुर, दिनांकः 3/6/22

कार्यालय आदेश 10/2022

विषयः– केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 से 104 D के प्रावधानों की पालना हेतु।

राष्ट्र में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रात्रि कालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु वाहनों में नियमानुसार रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग प्लेट लगाया जाना आवश्यक है इसके संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 से 104 D में वाहनों में निर्धारित मानकों की रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग प्लेट इत्यादि लगाये जाने के प्रावधान वर्णित है।

इसके संबंध में पूर्व में भी समय–समय पर विभागीय आदेश जारी किये गये है, परन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त आदेशों की पूर्णतया पालना नहीं हो रही है। अतः इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें–

1. भिन्न–भिन्न यानों में लगाये जाने वाले रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स एवं रिफ्लेक्टिव टेप केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में परिवहन यान को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे।
2. समस्त परिवहन वाहनों पर सामने की ओर सफेद रंग की एवं पीछे की ओर लाल रंग की रिफ्लेक्टिव टेप, वाहन की सम्पूर्ण चौडाई में लगाई जाएगी।
3. एन 1 श्रेणी एवं एन 2 श्रेणी के ऐसे वाहन जिनका सकल यान भार (GVW) 3.5 टन से अधिक और 7.5 टन से कम हो, पर लगाये जाने वाली रिफ्लेक्टिव टेप की न्यूनतम चौडाई 20 मिलीमीटर होगी व AIS–090–2005 मानकों के अनुरूप होगी।
4. एन 3 श्रेणी एवं एन 2 श्रेणी के ऐसे वाहन जिनका सकल भार यान 7.5 टन अथवा इससे अधिक हो (ट्रेलर/सेमीट्रेलर सहित) पर लगाये जाने वाली रिफ्लेक्टिव टेप की न्यूनतम चौडाई 50 मिलीमीटर होगी तथा इन वाहनों के पीछे व साईडों की ओर लगाये जाने वाली टेप, रिफ्लेक्टिव कन्टूर मार्किंग के रूप में होगी अर्थात् वाहन के पिछले सम्पूर्ण भाग पर एक आउटलाईन के रूप में टेप लगाई जाएगी एवं यह AIS–090–2005 मानकों के अनुरूप होगी।
5. एम2 श्रेणी एवं एम3 श्रेणी के यात्री वाहनों पर सामने की ओर सफेद रंग की एवं पीछे की ओर लाल रंग की रिफ्लेक्टिव टेप, वाहन की सम्पूर्ण चौडाई में लगाई जाएगी तथा एम3 श्रेणी के यात्री वाहनों में यान की दोनों साईडों में भी बॉडी की सम्पूर्ण लम्बाई में पीले रंग की रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाएगी। इस प्रकार लगाये जाने वाली रिफ्लेक्टिव टेप की न्यूनतम चौडाई 50 मिलीमीटर होगी एवं यह AIS–090–2005 मानकों के अनुरूप होगी।
6. तिपहिया वाहनों (ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट सहित) में सामने की ओर सफेद रंग की एवं पीछे की ओर लाल रंग की रिफ्लेक्टिव टेप, वाहन की सम्पूर्ण चौडाई में लगाई जाएगी। इस प्रकार लगाये जाने वाली रिफ्लेक्टिव टेप की न्यूनतम चौडाई 20 मिलीमीटर होगी एवं यह AIS–090–2005 मानकों के अनुरूप होगी।
7. निर्माता कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 104 में यथा उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित लम्बाई, परिमाप एवं मानक की रिफ्लेक्टिव टेप, AIS–090–2005 के मानकों के अनुसार ही लगाई गयी है, इसके प्रमाण स्वरूप निर्माता कम्पनी

अथवा उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु एक फिटमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

8. सेमी ट्रेलर सहित सभी ट्रेलरों (तिपहिया ट्रैक्टर से खीचे जाने वालों को छोड़कर) में निम्नलिखित रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स लगाये जायेंगे–
   (i) दो सफेद रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स सामने की तरफ एक दायें एवं बाये किनारों पर भूमि से 1500 मिलीमीटर से अधिक ऊँचाई पर नहीं होना चाहिए।
   (ii) दो लाल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स सामने की तरफ एक दायें एवं बाये किनारों पर भूमि से 1500 मिलीमीटर से अधिक ऊँचाई पर नहीं होना चाहिए।
   (iii) उपरोक्त रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स का क्षेत्रफल 6 मीटर से अधिक सकल लम्बाई वाले ट्रेलरों में 28.5 वर्ग सेमी से कम नहीं होगा एवं अन्य ट्रेलरों में 7 वर्ग सेमी से कम नही होगा।
9. संनिर्माण उपस्कर यानों (construction equipment) एवं कंबाइन हार्वेस्टर में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 A के प्रावधानानुसार रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्टर्स लगाया जायें।
10. कृषि ट्रैक्टरों पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 B के प्रावधानानुसार रिफ्लेक्टर्स लगाये जायें।
11. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 C में पावर टिलर्स पर रिफ्लेक्टर्स लगाये जाने के प्रावधान किये गये है जिनकी पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
12. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 D प्रावधानानुसार समस्त मोड्यूलर हाईड्रोलिक ट्रेलरों में AIS–089 मानक वाली रियर मार्किंग प्लेट लगायी जायेगी।
13. उपरोक्तानुसार लगायी जाने वाली समस्त रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग प्लेट केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 126 में विनिर्दिष्ठ जांच ऐजेन्सियों में से किसी ऐजेन्सी द्वारा जारी टाईप अप्रुवल सर्टिफिकेट एवं कन्फर्निटी ऑफ प्रॉडक्शन सर्टिफिकेट (TAC & COP) धारक निर्माताओं द्वारा निर्मित होगी।
14. फिटमेंट प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाकर प्रथम प्रति संबंधित परिवहन कार्यालय, द्वितीय प्रति वाहन के साथ तथा तृतीय प्रति निर्माता कम्पनी के कार्यालय में संधारित की जाएगी जो विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत की जा सकेगी। किसी भी परिवहन यान के फिटनेस हेतु अधिकृत निजी फिटनेस सेन्टर पर निरीक्षण हेतु वाहन प्रस्तुत करने पर वाहन में रखी द्वितीय प्रति फिटनेस सेन्टर के स्तर पर देखते हुए उसकी एक फोटो प्रति फिटनेस सेन्टर पर रखी जाना सुनिश्चित करें।
15. निर्माता कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये एवं लगाये गये रिफ्लेक्टिव टेप की मासिक सूचना संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। सूचना में मुख्य रूप से वाहन संख्या, वाहन प्रकार एवं रिफ्लेक्टिव टेप की लम्बाई, चौडाई का वर्णन सम्मिलित किया जाएगा।
16. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त निजी फिटनेस सेन्टर्स को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पालना सुनिश्चित कराएगें।

उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त परिवहन यानों के पंजीयन, पुनः पंजीयन, असाइन्मेंट, स्वामित्व हस्तान्तरण करते समय एवं विशेष रूप से फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकरण करते समय रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्टिव टेप/रियर मार्किंग प्लेट की जांच आवश्यक रूप से की जावे। उचित मानक, गुणवत्ता, डिजाईन, परिमाप व रंग की रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्टिव टेप/रियर मार्किंग प्लेट के अभाव में किसी भी परिवहन यान का पंजीयन, पुनः पंजीयन, असाइन्मेंट, स्वामित्व हस्तान्तरण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकरण करने का कार्य संपादित नहीं किया जावे। प्रवर्तन कर्मियों द्वारा चैकिंग के दौरान

उक्त प्रावधानों के अनुरूप रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर्स/रिफ्लेक्टिव टेप/रियर मार्किंग प्लेट नहीं लगे होने की स्थिति में परिवहन यानों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही करेगें।

भविष्य में किसी वाहन का संचालन उपरोक्त प्रावधानों/निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानते हुए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। उपरोक्त प्रावधानों/आदेशों के विपरीत वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला परिवहन अधिकारी/निजी फिटनेस सेन्टर्स को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7(418)(1)परि/नियम/मु./2011/12328-334 जयपुर, दिनांकः 3/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण /प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट एवं तकनीकी निदेशक, एनआईसी।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग